तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22-01-25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 24-01-25 को पेश हो।
24-01-25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उप. बहस हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 05-02-2025 को पेश हो।
05-02-25	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष वकील उपस्थित प्रार्थना पत्र बहस उभयपक्ष सुनी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 12-02-2025 को पेश हो।
12-02-25	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष वकील उपस्थित पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई पत्रावली का अवलोकन उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर TI खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति संलग्न मूल बाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 47/2023
दायरा दिनांक 14.07.2023

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

1. राधेश्याम पुत्र रामलाल जाति माली निवासी मालया की बाडी पंचायत उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. गोबरीलाल पुत्र गोपाल जाति माली निवासी मालया की बाडी पंचायत उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. रामप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी मालया की बाडी पंचायत उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4. भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी मालया की बाडी पंचायत उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
5. रामसहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी मालया की बाडी पंचायत उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थिगण

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र घांसीलाल जाति मीना निवासी उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. मदनलाल पुत्र नन्दकिशोर जाति मीना निवासी उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट0

दिनांकः–12.02.2025

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट का प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1168/1 रकबा 1.00है0, खसरा संख्या 1168/2 रकबा 1.00है0 कुल किता रकबा 2.00है0 वाके ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है जिसके सेटलमेंट 2022 से 41 में खसरा संख्या 644 बने है तथा इसके पुराने खसरा संख्या 353/6 रकबा 14बीघा 5बिस्वा, खसरा संख्या 353/5 रकबा 2बीघा 10बिस्वा है जो वाके ग्राम उतराना में स्थित है जिसके खातेदार टीनेन्ट प्रार्थी संख्या 1 व 2 लगायत 5 के दादा गोपाल जी तथा प्रार्थी संख्या 2 के पिता गोपाल वल्द किशोर थे एवं

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

काबिज होकर काश्तकारी करते आ रहे है एवं गोपाल जी की मृत्यु के बाद से प्रार्थिगण काबिज होकर काश्तकारी करते आ रहे है क्योंकि प्रार्थिगणों की उक्त वर्णित पुश्तैनी भूमि है। सेटलमेंट सम्वत् 2022 से 2041 सम्पन्न हुआ खसरा संख्या 353/5, खसरा संख्या 353/6 के खसरा संख्या 644 बना जिसको सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त कृषि भूमि को सिवायचक दर्ज कर दी गई है जो गलत है क्योंकि यह गोपाल, गणेश वल्द किशोर की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जबकि सेटलमेंट विभाग को इस प्रकार का इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है वे तो इन्द्राज का हूबहू रिपीटेशन कर सकते है। ततपश्चात उक्त खसरा संख्या 644 रकबा 16बीघा 13बिस्वा का राजस्व कर्मचारियों द्वारा खातेदारी की कृषि भूमि को गलत तरीके से रामनाथ वल्द धन्ना गुर्जर निवासी उतराना को आवंटन कर दिया था जो गलत था क्योंकि यह खातेदारी की भूमि है जब खातेदार गोपाल को मालूम हुआ कि अपनी कृषि भूमि सिवाचक कर दिया और आवंटन हो गई तब गोपाल वल्द किशोर द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय, बून्दी के यहां आवंटन रूल्स 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.1978 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त कर दिया है क्योंकि माननीय जिलाधीश महोदय ने भी माना कि यह प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की भूमि है जो गलत तरीके से आवंटन हो गई है इसलिए यह प्रार्थी की खातेदारी में ही रहेगी तथा आवंटन खारिज कर दिया गया। उक्त कृषि भूमि सन 1995 से 2015 के खसरा संख्या 1168 सिवायचक दर्ज हो रहा था जबकि यह प्रार्थिगणों की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है लेकिन गलत तरीके से राजस्व कर्मचारियों के द्वारा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को अवैधानिक रूप से अप्रार्थी सं 1 व 2 के आवंटन कर दी गई है जो अवैध, शून्य है एवं निष्प्रभावी है। प्रार्थिगणों को जब पता चला कि अप्रार्थिगणों ने कहा कि यह कृषि भूमि तो हमारे खाते दर्ज है इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थिगणों ने तहसील में जाकर पता किया व नकले प्राप्त की जब जानकारी हुई कि हमारी खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि अप्रार्थिगणों के खाते गलत तरीके से दर्ज हो गई है। अब इसको दुरूस्त करवाने के लिये अप्रार्थिगण से निवेदन किया कि हमारे खाते की कृषि भूमि को वापस हमारे खाते दर्ज करवाओं लेकिन अप्रार्थिगण टालम टोल करते रहे है। प्रार्थिगण ने अंतिम बार दिनांक 10.07.2023 को अप्रार्थिगण से निवेदन किया तो उन्होनें साफ मना कर दिया एवं वाद ग्रस्त आराजी को रहन, बय करने की धमकी दी गई। प्रथम दृष्ट्या के प्रार्थिगण के पक्ष में है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिगण के पक्ष में है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थिगण के पक्ष में जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थिगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह सम्भव नहीं हो पायेगी क्योंकि प्रार्थिगण वाद विषयक आराजी के खातेदार है और इनसे पहले हमारे पूर्वज थे तथा काबिज होकर काश्तकारी करते आ रहे है। तीनों तत्व प्रार्थिगण के पक्ष में है। अन्त में निवेदन किया कि वाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम उतराना पर प्रार्थिगण के पक्ष में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थिगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञ से पाबंद किया जावे।

प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये नोटिस अप्रार्थिगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं 2 ने इकबालिया जवाब पेश कर प्रार्थिगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने में अनापत्ति जाहिर की। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी सं 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय कान्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 1168/1 रकबा 1.00है0 अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित उसके खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें प्रार्थिगण का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थिगण सेटलमेंट द्वारा गलती किया जाना व गलत इन्द्राज किये जाने को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र लाये है जो सेटलमेंट कमिश्नर कोटा के अपील का विषय होने से प्रार्थिगण का दावा व प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार व मियाद बाहर होने से कानूनन पोषणीय नहीं है। वाद विषयक आराजी बाबत् जिलाधीश महोदय बून्दी यहां कथित प्रस्तुत आवंटन रूल्स 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत व कथित निर्णय दिनांक 13.06. 1978 में अप्रार्थी सं 1 को पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे उस पक्ष यह निर्णय प्रभावहीन है। वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 1168/1 अप्रार्थी सं 1 को विधिवत आवंटित होकर जमाबंदी में बतौर खातेदार कृषक अंकित हुई है आवंटन के समय निरन्तर आज तक काबिज है। अप्रार्थी अनुसूचित जन जाति का सदस्य है इस वाद व प्रार्थना पत्र के माध्यम से धारा 42 के प्रावधानो राज0 काश्तकारी अधिनियम व अन्य राजस्व नियमों के तहत प्रार्थिगण के हक में इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी कानूनन घोषणा योग्य नहीं होने से प्रार्थिगण का वाद व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। सुविधा का संतुलन प्रार्थिगण के पक्ष में न होकर अपार्थी सं 1 के पक्ष में है। अप्रार्थी सं 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तो अप्रार्थी सं 1 को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं है। प्रार्थिगण ने अप्रार्थी सं 2 से मिली भगत कर झूठे तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है जिसमें अप्रार्थी सं 2 अनुसूचित जनजाति का सदस्य की आराजी बाबत अवैध राजीनामा प्रस्तुत कर प्रार्थिगण के खाते इन्द्राज दुरस्ती लगाने हेतु सहमति वक्त की है जिससे प्रार्थिगण को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अप्रार्थी सं 1 ने अपने काउन्टर क्लेम में अंकित किया है कि वाद विषयक आराजी 1168/1 रकबा 1.00है0 वाके ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ अप्रार्थी सं 1 को विधिवत आवंटित कर कब्जा सम्भलाया जाकर आवंटन के समय निरन्तर काबिज काश्त होकर बतौर खातेदार कृषक जमाबंदी में अंकित खातेदार के रूप में उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थिगण ने मिथ्या आधारों पर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है व अप्रार्थी सं 1 के खाते व कब्जे की उक्त आराजी पर नाजायज रूप से झूठे तथ्यों के आधार पर झूठा दावा संख्या 56/23 व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थिगण झूठे दावे व प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थी सं 1 की खाते की भूमि पर नाजायज कब्जा प्राप्त करना चाहते है व अप्रार्थी सं 1 की खातेदारी विलोपित करवाना चाहते है इसलिए प्रार्थिगण के विरूद्ध अप्रार्थी सं 1 के पक्ष में उसके कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त आराजी के विषय में अस्थाई निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में अवरोध न करें व अन्य प्रतिनिधियों से भी नहीं करवावे।

प्रार्थिगण ने जवाब काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कृर अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि वाद विषयक अराजी प्रार्थिगण के बाप दादाओं की पुश्तैनी भूमि है तथा प्रार्थिगण काबिज होकर काश्तकारी करते आ रहे है इसलिए काउन्टर क्लेम कर्ता का काई हक व अधिकार नहीं है तथा काउन्टर क्लेम खारिज योग्य है। जब अप्रार्थी सं 1 का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा प्रार्थिगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि है

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

इसलिए काउन्टर क्लेम चलने योग्य नहीं है तथा खारिज योग्य है। प्रार्थिगण के दावे को दबाने के लिये अप्रार्थी सं 1 द्वारा झूठे तथ्य लिखकर तथा बनावटी कहानी बनाकर यह काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया है। खसरा संख्या 1168 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके से अप्रार्थी सं 1 व 2 को आवंटन कर दी गई है जो अवैध व शून्य है एवं निष्प्रभावी है। अप्रार्थी सं 2 मदनलाल द्वारा वाद विषयक खसरा संख्या 1168/2 रकबा 1.00है0 का प्रार्थिगण के पक्ष में डिक्री किये जाने हेतु राजीनामा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो तस्दीक किया जा चुका है इसलिए अप्रार्थी सं 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है एवं खारिज योग्य है। वाद ग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी सं 1 का कब्जा नही होने से कब्जे के अभाव में काउन्टर क्लेम पोषनीय नहीं है। वाद विषयक आराजी अप्रार्थी सं 1 के नाम गैर कानूनी रूप से दर्ज है तथा खाता अवैध व गलत है। अन्त में निवेदन किया कि काउटर क्लेम कर्ता का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने व कानूनी रूप से कमजोर होने के कारण खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अभिभाषकंगण की बहस सुनी गई। प्रार्थिगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहराव करते हुए तर्क किया कि वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 1168/1 रकबा 1.00है0, खसरा संख्या 1168/2 रकबा 1.00है0 कुल किता रकबा 2.00है0 वाके ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है जिसके सेटलमेंट 2022 से 41 में खसरा संख्या 644 बने है तथा इसके पुराने खसरा संख्या 353/6 रकबा 14बीघा 5बिस्वा, खसरा संख्या 353/5 रकबा 2बीघा 10बिस्वा है जो वाके ग्राम उतराना में स्थित है जिसके खातेदार टीनेन्ट प्रार्थी संख्या 1 व 3 लगायत 5 के दादा गोपाल जी तथा प्रार्थी संख्या 2 के पिता गोपाल वल्द किशोर थे एवं काबिज होकर काश्तकारी करते आ रहे है एवं गोपाल जी की मृत्यु के बाद से प्रार्थिगण काबिज होकर काश्तकारी करते आ रहे है। सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त कृषि भूमि को सिवायचक दर्ज कर दी गई है जो गलत है। ततपश्चात उक्त खसरा संख्या 644 रकबा 16बीघा 13बिस्वा का राजस्व कर्मचारियों द्वारा खातेदारी की कृषि भूमि को गलत तरीके से रामनाथ वल्द धन्ना गुर्जर निवासी उतराना को आवंटन कर दिया था जो गलत था क्योंकि यह खातेदारी की भूमि है। गोपाल वल्द किशोर द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय, बून्दी के यहां आवंटन रूल्स 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.1978 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त कर दिया था। अप्रार्थी सं 2 द्वारा प्रार्थिगण के पक्ष में माननीय न्यायालय में राजीनामा पेश कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं होते है। वाद विषयक आराजी प्रार्थिगण की पुश्तैनी एवं खातेदारी की है। प्रार्थिगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू प्राथमिक दृष्ट्या केस प्रमाणित, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थिगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थिगण अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

1. 2020 RBJ 545 Daula vs Hardara
2. RRD Mar., 2004 Sukhdev vs Gyanchand
3. RRD 2000 Page no. 52 Lad Bai & ors. Vs Board of Revenue
4. RRD 1998 Page no. 188 L.Rs of Teja VS Badri & ors.
5. RBJ 2022 Page no. 763 Mafi Khidmat dargah vs Lalita Bai ors
6. RBJ 2020 Page no. 82 Prem vs Jai Pal
7. RRD 1993 Om Prakash & ors. VS State of Raj & ors.
8. RRD 1993 Page no 489 Mst. Rajabati & ors. Vs Sardar & ors.

अप्रार्थी सं 2 के अभिभाषक ने प्रार्थिगण अभिभाषक की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 1168/1 रकबा 1.00है0 अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित उसके खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें प्रार्थिगण का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थिगण सेटलमेंट द्वारा गलती किया जाना व गलत इन्द्राज किये जाने को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र लाये है जो सेटलमेंट कमिश्नर कोटा के अपील का विषय होने से प्रार्थिगण का दा़वा व प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार व मियाद बाहर होने से कानूनन पोषणीय नहीं है। वाद विषयक आराजी बाबत् जिलाधीश महोदय बून्दी यहां कथित प्रस्तुत आवंटन रूल्स 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत व कथित निर्णय दिनांक 13.06.1978 में अप्रार्थी सं 1 को पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे उस पक्ष यह निर्णय प्रभावहीन है। अप्रार्थी अनुसूचित जन जाति का सदस्य है इस वाद व प्रार्थना पत्र के माध्यम से धारा 42 के प्रावधानो राज0 काश्तकारी अधिनियम व अन्य राजस्व नियमों के तहत प्रार्थिगण के हक में इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी कानूनन घोषणा योग्य नहीं होने से प्रार्थिगण का वाद व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी सं 1 ने अपने काउन्टर क्लेम में अंकित किया है कि वाद विषयक आराजी 1168/1 रकबा 1.00है0 वाके ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ अप्रार्थी सं 1 को विधिवत आवंटित कर कब्जा सम्भलाया जाकर आवंटन के समय निरन्तर काबिज काश्त होकर बतौर खातेदार कृषक जमाबंदी में अंकित खातेदार के रूप में उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थिगण अप्रार्थी सं 2 के साथ मिलकर झूठे दावे व प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थी सं 1 की खाते की भूमि पर नाजायज कब्जा प्राप्त करना चाहते है व अप्रार्थी सं 1 की खातेदारी विलोपित करवाना चाहते है इसलिए प्रार्थिगण के विरूद्ध अप्रार्थी सं 1 के पक्ष में उसके कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त आराजी के विषय में अस्थाई निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में अवरोध न करें व अन्य प्रतिनिधियों से भी नहीं करवावे। अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

1. RLW 2013(1) RJ Page no. 703 Moharpal vs Prabhu singh
2. RLW 2013(1) RJ Page no. 409 Pooran chand vs Gopal Prasad
3. RLW 2013(2) RJ Page no. 1039 Banwari Lal vs Anand & ors
4. 2018 DNJ Page no 754 Telangana Housing Board vs Azamunnisa Begum
5. 2024(3) DNJ(Raj) Page no. 1177 Deepak vs Smt. Sethani Gangabai Trust

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

5/7

हमने उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपस्थित जमाबंदी सम्वत् 2021 से 2024 ग्राम उतराना तहसील के0पाटन जिला बून्दी अनुसार खसरा संख्या 352/5 रकबा 2बीघा 10बीस्वा व खसरा संख्या 353/6 रकबा 14बीघा 5बिस्वा भूमि गोपाल गणेश पि0 किशोर कौम माली सा0 ढगारिया की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षेत्रफल मौजा उतराना तहसील के0पाटन जिला बून्दी सम्वत् 2022 से 2041 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत खसरा संख्या 353 का नया खसरा 644 बना है। भू प्रबंधन विभाग की नकल जमाबंदी सम्वत 2022 से 2041 खतौनी संख्या 113 ग्राम उतराना तहसील के0पाटन, बून्दी में खंसरा संख्या 644 रकबा 16बीघा 13बिस्वा सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंधन विभाग सन् 01–04–1995 से 31–03–2015 ग्राम उतराना से यह जाहिर आता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 644मि0 रकबा 16बीघा 13बिस्वा से नया खसरा 1168 रकबा 2.06है0 बना है। भू प्रबंधन विभाग की नकल जमाबंदी सम्वत् 01–04–1995 से 31–03–2015 में उक्त खसरा संख्या 1168 सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ अनुसार खसरा संख्या 1168/2 रकबा 1.00है0 कृषि भूमि मदनलाल पुत्र नन्दकिशोर जाति मीणा एवं खसरा संख्या 1168/1 रकबा 1.00है0 कृषि भूमि अशोक कुमार पुत्र घांसीलाल जाति मीना की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न प्रकरण संख्या 24/1977 में माननीय न्यायालय जिलाधीश, बून्दी द्वारा उक्त वाद विषयक आरजी के संबंध दिनांक 13.06.1978 को पारित निर्णय से प्रश्नगत आराजी के नये खसरा संख्या 644 रकबा 16बीघा 13बिस्वा को प्रार्थिगण के पूर्वज गोपाल, गणेश वल्द किशोर की सम्मिलित खाते की भूमि मानते हुए उक्त प्रार्थिगण के खाते की भूमि का आवंटन किया जाना उचित नहीं माना गया है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रत्यर्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया गया था। यहां अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रश्नगत अराजी अप्रार्थिगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की है तथा अप्रार्थिगण अनुसूचित जनजाति से है जिससे प्रार्थिगण का वाद अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है जिसके संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में प्रार्थिगण के पूर्वज की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी बाद में सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश से उक्त आराजी को सिवायचक किया गया है एवं इसके बाद अप्रार्थिगण के कथनानुसार उनको आवंटित होकर उनकी खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अधिनियम की धारा 42 में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्ति को अपनी खातेदारी की भूमि के बेचान, दान अथवा वसीयत को अवैध ठहराया गया है विचाराधीन प्रकरण में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। उक्त वाद विषयक आराजी के संबंध में माननीय जिलाधीश, बून्दी द्वारा भी प्रार्थिगण के पूर्वज गोपाल, गणेश वल्द किशोर को खातेदार माना गया है। प्राथमिक दृष्ट्या प्रकरण में यह जाहिर है प्रार्थिगण के पूवजों के खातेदारी की उक्त विवादित आराजी को सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के सिवायचक घोषित कर दिया गया था ततपश्चात उक्त सिवायचक भूमि को अप्रार्थिगण 1. ता0 2 को आवंटन कर दी गई है इस प्रकार प्रश्नगत आराजी गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 व 2

6/7

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

के नाम खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चूंकि अप्रार्थी सं 2 मदनलाल न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थिगण के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत किया है जिसमें उसने यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थिगण के खाते की पुश्तैनी भूमि है एवं प्रार्थिगण की कब्जे काश्त की कृषि भूमि है जिससे प्रार्थिगण के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थिगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अप्रार्थिगण संख्या 1 व 2 वर्तमान में प्रश्नगत आराजी के बतौर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है ऐसे में यदि उनके द्वारा उक्त विवादित भूमि का रहन, बैचान एवं अन्तरण किया जाता है तो प्रार्थिगण को अपूर्णीय क्षति कारित होना स्वभाविक है। माननीय उच्चतम न्यायालय से लेकर माननीय राजस्व मण्डल ने अनेक प्रकरणों में यह अभिमत प्रकट किया है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है यदि यह तीन सिद्धान्त 1. प्रथम दृष्ट्या मामला, 2. सुविधा का संतुलन, 3. अपूरणीय क्षति किसी के पक्ष में हो। हस्तगत प्रकरण में उक्त तीनों बिन्दु प्राथमिक दृष्ट्या प्रार्थिगण के पक्ष होना प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में पिडित पक्षकार अप्रार्थी संख्या 1 ता0 2 नहीं होकर प्रार्थिगण है। विवादित अराजी के रहन, बय, मुंतकिल होने की संभवना है जिससे लम्बित मूल वाद में बेवजह न्यायिक बहुलता एवं जटिलता के मध्यनजर हमारे मत प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थिगण स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अप्रार्थी सं 1 व 2 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1168/1 रकबा 1.00है0, 1168/2 रकबा 1.00है0 वाके ग्राम उतराना पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़ का रहन, बेचान एवं किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरण नहीं कर मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थित बनाए रखें। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूति संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को खुल इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)